बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 17–बी0पी0एम0यू0 (सो0का0)–18/2015..1023..........

प्रेषक,

मुकुल कुमार,
सहायक निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :–20-02-2021

विषय :– बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के सोसायटी कार्यालय के लिए अस्थायी नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के सोसायटी कार्यालय के एल0आई0एस0 सलाहकार के पद पर अस्थायी नियोजन हेतु विज्ञापन सूचना की सॉफ्ट/हार्ड कॉपी पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।

अनुरोध है कि संलग्न विज्ञापन सूचना को हिन्दी एवं अंग्रेजी के समाचार पत्रों में व्यापक रूप से प्रकाशित कराते हुए अपने विभागीय वेबसाईट पर भी प्रकाशित कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक :– विज्ञापन सूचना की हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी।

विश्वासभाजन
19/2/21
(मुकुल कुमार)
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 17–बी0पी0एम0यू0 (सो0का0)–18/2015..1023.......... **पटना, दिनांक** :20-02-2021

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/सुश्री सुरभि सिंह, MIS & Analytcs Cell Lead, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचानार्थ एवं विज्ञापन संख्या – 02/2020–21 को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

19/2/21
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

D:\Satish-2020\Samaraiya Jee\Advertiement\18-2015-11-02-2021.doc

ज्ञापांक : 17—बी0पी0एम0यू0 (सो0का0)—18 / 2015....1023.......... **पटना, दिनांक** :20-02-202

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग—सह—अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट युनिट, भू—अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/2/21

सहायक निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप

D:\Satish-2020\Samaraiva Jee\Advertiement\18-2015-11-02-2021.doc

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
सर्वे भवन, शास्त्रीनगर, पटना – 800023

बिहार सरकार

सूचना

विज्ञापन संख्या–02 / 2020–21

केन्द्र प्रायोजित योजना DIGITAL INDIA LAND RECORDS MODERNIZATION PROGRAMME - DILRMP के अंतर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को विभिन्न प्रकार के तकनीकी कार्यो में आवश्यक तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट का गठन निबंधित सोसाइटी के रूप में किया गया है।

सोसायटी कार्यालय के लिए **एल0आई0एस0 सलाहकार** (Land Information System - LIS) के **एक (01) पद** पर अस्थायी नियोजन की आवश्यकता है। एल0आई0एस0 सलाहकार के पद पर नियोजन हेतु सेवा निवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा / बिहार प्रशासनिक के पदाधिकारी यथा समाहर्त्ता, बन्दोबस्त पदाधिकारी, संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी / इच्छुक आवेदक आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत विज्ञापन विभागीय वेबसाईट www.lrc.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। इसके संबंध में अधिक जानकारी के लिए सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के मोबाईल न0 8544412995 एवं कार्यालय फोन नं0 0612 – 2283300 पर भी प्राप्त किया जा सकता है।

इच्छुक आवेदक विहित प्रपत्र में अपना आवेदन निर्धारित **दिनांक 18.03.2021 के 05:00 बजे** अपराह्न तक **स्वयं** अथवा **स्पीड पोस्ट** के माध्यम से सर्वे भवन, शास्त्रीनगर, पटना स्थित कार्यालय में **निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना** को उपलब्ध करा सकते हैं।

19/2/21

(मुकुल कुमार)
सहायक निदेशक
भ–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
सर्वे भवन, शास्त्रीनगर, पटना – 800023

विज्ञापन संख्या– 02/2020–21

केन्द्र प्रायोजित योजना DIGITAL INDIA LAND RECORDS MODERNIZATION PROGRAMME - DILRMP के अंतर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को विभिन्न प्रकार के तकनीकी कार्यो में आवश्यक तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट का गठन निबंधित सोसाईटी के रूप में किया गया है।

2. बिहार प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट शत्–प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान की राशि से गठित की गयी है। इस सोसाईटी के गठन हेतु भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धसरकारी पत्र संख्या 13014/4/2007–LRD दिनांक 02.08.11 द्वारा मार्गदर्शन उपलब्ध कराए गए हैं। भारत सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार सोसाईटी कार्यालय के लिए **एल0आई0एस0 सलाहकार** के **एक (01) पद** पर संविदा के आधार पर नियोजन किया जाना है।

3. रिक्त पद पर अस्थायी नियोजन के लिए कार्यकारिणी समिति की दिनांक 27.03.2019 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय के फलस्वरूप विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है।

4. (क) एल0आई0एस0 सलाहकार के पद पर नियोजन हेतु सेवा निवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा/बिहार प्रशासनिक के पदाधिकारी यथा समाहर्त्ता, बन्दोबस्त पदाधिकारी, संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी को आवेदक के रुप में निम्नांकित योग्यताएँ धारण करना अनिवार्य होगा :–

क्र0	पदनाम	उम्र सीमा	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव	देय पारिश्रमिक
1	एल0आई0एस0 सलाहकार (Land Information System - LIS)	अधिकतम 65 वर्ष	स्नातक	भू–अभिलेखों के संधारण/सर्वे/री–सर्वे संबंधी कार्यो में 10 वर्षो का अनुभव तथा भूमि सूचना प्रबंधन तथा डाटा फॉरमेट से संबंधित जानकारी का उपलब्ध होना अनिवार्य। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में क्षेत्र एवं विभाग दोनों मिलाकर पदाधिकारी की कम से कम 10 वर्षो की सेवा रही हो तथा एक बार विभाग (मुख्यालय) में पदस्थापन अवश्य रहा हो।	पे–पेंशन (Pay - Pension)

(ख) नियोजित होने बाले पदाधिकारी को Pay Level- 13 मानते हुए मानदेय/पारिश्रमिक का निर्धारण किया जायेगा।

(ग) भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर के अतिरिक्त आने वाले व्यय भार का वहन निदेशालय के राज्य योजना मद की राशि से किया जायेगा।

5. इच्छुक आवेदक संलग्न विहित प्रपत्र में अपने फोटो के साथ पूर्ण आवेदन यथावश्यक अनुलग्नकों के साथ निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को दिनांक 18.03.2021 के 5.00 बजे अपराह्न तक उपलब्ध करा सकेंगे।

6. आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि :–

(क) उनके विरूद्ध निगरानी का मामला नहीं चल रहा है।

(ख) उनके विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है।

(ग) कभी किसी मामले में दंडित नहीं है।

(घ) उनके विरूद्ध कोई गंभीर आरोप/आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

7. अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार होंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

8. नियोजन के समय सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य–चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र देना आवश्यक होगा।

9. नियोजन के उपरांत आवेदकों को चेक के माध्यम से उनके बैंक खाता में पारिश्रमिक की राशि उपलब्ध करायी जाएगी। पारिश्रमिक की राशि में से टी0डी0एस0 की कटौती करने के उपरांत शेष राशि बैंक खाता में जमा कर दी जाएगी।

10. नियोजन के उपरांत यदि सलाहकार की सेवा संतोषप्रद नहीं पायी गयी, तो निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप सह सदस्य सचिव, कार्यकारिणी समिति अपने स्तर से संबंधित कर्मी से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष की सहमति से इन्हें कार्य मुक्त करने के लिए सक्षम होंगे।

11. एल0आई0एस0 सलाहकार का दायित्व होगा कि DILRMP/NLRMP की मार्गदर्शिका के आलोक में सभी कार्यो का क्रियान्वयन तथा विभिन्न प्रकार के अधिनियमों/नियमावली के आलोक में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यकम का सफल क्रियान्वयन कराएगें। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा आंवटित सभी कार्यो का भी संपादन करेंगें।

12. यह नियोजन पूर्ण रूप से सीमित समय के लिए अस्थायी रूप से किया जाएगा। साक्षात्कार के उपरांत सफल आवेदकों से एकरारनामा किया जाएगा। एकरारनामा का विस्तारीकरण नहीं किए जाने पर एक वर्ष की अवधि के बाद नियोजित आवेदक की सेवा स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

13. पैनल की वरीयता का निर्धारण निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप की अध्यक्षता में गठित साक्षात्कार समिति द्वारा तय किया जाएगा।

14. निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप किसी भी समय बिना कारण बताए इस विज्ञापन को रद्द/स्थगित करने के लिए सक्षम होंगे।

19/2/21

(मुकुल कुमार)
सहायक निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

आवेदन का प्रपत्र

1. पद का नाम जिसके लिए आवेदन समर्पित किया जा रहा है :–..

2. आवेदक का नाम :– ....
   (क) हिन्दी में :– ....
   (ख) अंग्रेजी में :–..

स्व–अभिप्रमाणित हाल का फोटो

3. पिता/पति का नाम :– ....
4. जन्म तिथि :– ....
5. आरक्षण कोटि :– ....
6. पुरूष/महिला :– ....
7. स्थायी पता :– ....
....
8. पत्राचार का पता :–..
....
9. किस प्रदेश के मूल निवासी हैं :– ....
10. मोबाईल नं0 :– ....
11. ई– मेल :– ....
12. पूर्व में नियोजित कार्यालय का नाम/पता :– ....
....
13. पूर्व में पदस्थापित कार्यालय में किए गए कार्यों का ब्योरा :– ....
....
....
14. आवेदक को इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि:– उनके विरूद्ध कोई निगरानी मामला नहीं चल रहा हो/कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं हो/किसी भी मामले में दंडित नहीं हुए हों/कोई गंभीर आरोप एवं अपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
15. शैक्षणिक योग्यता :–

क्रम सं0	परीक्षा का नाम	उत्तीर्णता का वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	प्राप्तांक का प्रतिशत/ग्रेड	सर्वे/री–सर्वे कार्यो का अनुभव प्रमाण सहित	आधार अभिलेख (RoR) तैयार करने के कार्य का अनुभव प्रमाण सहित	विभिन्न प्रकार के भू–अभिलेख पंजी के संबंध में जानकारी
1	2	3	4	5	6	7	8

16. योजना से संबधित कार्य का कोई अन्य अनुभव यदि हो तो उल्लेख करे :– ....
....
....

नोट :– आवेदक अपनी यथावश्यक साक्ष्य प्रमाण स्वरूप स्व–हस्ताक्षर के साथ संलग्न करेंगे।

घोषणा :–

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सभी सूचनाएँ मेरी जानकारी में सही है। किसी भी समय उपर्युक्त सूचनाओं में से किसी सूचना को गलत पाये जाने पर मेरे आवेदन/नियोजन को रद्द किया जा सकेगा।

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर